Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 160-2025/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, SEPTEMBER 12, 2025 (BHADRA 21, 1947 SAKA)

हरियाणा सरकार

योजना विभाग

अधिसूचना

दिनांक 12 सितम्बर, 2025

संख्या यो०(A–3)–2025/767.– भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग (ग्रुप–ग) सेवा नियम, 2013 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. ये नियम हरियाणा अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग (ग्रुप ग) सेवा (संशोधन) नियम, 2025 कहे जा सकते हैं ।

2. हरियाणा अर्थ तथा सांख्यिकीय विश्लेषण विभाग (ग्रुप ग) सेवा नियम, 2013 में, परिशिष्ट ख में, क्रम संख्या 11 के सामने, –

(i) खाना 3 के नीचे,–

(क) विद्यमान मद (i) के स्थान पर, निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

''(i) 10+2 या इसके समकक्ष;'';

(ख) विद्यमान मद (v) के स्थान पर, निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

''(v) मैट्रिक में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत अथवा उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी;'';

(ii) खाना 4 के नीचे,–

(I) ''पदोन्नति द्वारा'' शीर्ष के नीचे, विद्यमान मद (iv) के स्थान पर, निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

''(iv) मैट्रिक में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत अथवा उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी;'';

(II) ''स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा'' शीर्ष के नीचे,–

(क) विद्यमान मद (i) के स्थान पर, निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

''(i) 10+2 या इसके समकक्ष;'' तथा

(ख) विद्यमान मद (iv) के स्थान पर, निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

''(iv) मैट्रिक में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत अथवा उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी;'';

अनुराग रस्तोगी,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
योजना विभाग ।

HARYANA GOVERNMENT

PLANNING DEPARTMENT

Notification

The 12th September, 2025

No. Plg.(A-3)-2025/767.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Economic and Statistical Analysis Department (Group C) Service Rules, 2013, namely :-

1. These rules may be called the Haryana Economic and Statistical Analysis Department (Group C) Service (Amendment) Rules, 2025.

2. In the Haryana Economic and Statistical Analysis (Group C) Service Rules, 2013 in Appendix B, against serial number 11,-

(i) under column 3,-

(a) for existing item (i), the following item shall be substituted, namely:-

"(i) 10+2 or its equivalent;";

(b) for existing item (v), the following item shall be substituted, namely:-

"(v) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Hindi as one of the subject in Higher Education.".

(ii) under column 4,-

I. under heading 'By Promotion', for existing item (iv), the following item shall be substituted, namely:-

"(iv) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Hindi as one of the subject in Higher Education.".

II. under heading 'By transfer/deputation',-

(a) for existing item (i), the following item shall be substituted, namely:-

"(i) 10+2 or its equivalent;" and

(b) for existing item (iv), the following item shall be substituted, namely:-

(iv) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Hindi as one of the subject in Higher Education.".

ANURAG RASTOGI,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Planning Department.

12101—C.S.—H.G.P., Pkl.